❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖
पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2021–22/ 6776 दिनांक 05-05-22

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषयः– प्रस्ताव ''Construction of widening and strengthening road from viratnagar (NH-248 A) to Chilpali Mod (NH-148) Via Teori, Sewra Palri, Palri Tiraha, Ghota, Sawami ki Dhani, Badshahpura, Gudha Baijanathpura, Todalari, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/140508/2021 के कम में।

सन्दर्भः– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक F14 (PWD) 2021/FCA/PCCF/EDS-1 दिनांक 27.04.2022 एवं आपके कार्यालय के द्वारा ऑनलाईन EDS दिनांक 4.5.22 के कम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक F14 (PWD) 2021/FCA/PCCF/EDS-1 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपों का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार तैयार कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं:–

क.सं.	कमियां	जवाब
1	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में Working plan prescription में NA लिखा है, जो गलत हैं।	संशोधित कर दिया गया हैं।
2	NFL भूमि पर विभागीय KML अपलोड किये जाने पर पाया गया कि यह पूर्व से ही वन भूमि हैं। इसे उप वन संरक्षक स्तर से स्पष्ट किया जाना आवश्यक हैं।	प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि के बदले प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि (NFL) वन खण्ड तालुका बास उर्फ बरकडा की डूँगरी–49 की बाहरी परिधि के अन्दर हैं। परन्तु उक्त भूमि चक के द्वारा बाहर की गई हैं, एवं उसके क्षेत्र को वन खण्ड में शामिल नही किया गया हैं।
3	प्रस्तावित NFL को गूगल पर देखे जाने पर पाया गया कि यह पहले से ही वृक्षों से आच्छादित हैं। इस पर 1100 पौधे/है0 रोपित किया जाना संभव प्रतीत नही होता।	भारत सरकार के पत्र कमांक F. No. 11-423/2011-FC दिनांक 8 नवम्बर, 2017 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के परिपत्र कमांक/एफ.( ) 2020–21/ प्रमुवस/एफसीए/ 584–691 दिनांक 1.03.2021 द्वारा स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि कार्य स्थल की परिस्थिति के कारण NFL में 1000 पौधे प्रति हैक्टर रोपण नही हो पाने की स्थिति में शेष पौधे नियमानुसार रोपित कर दिये जाएगें (प्रति संलग्न)।
4	CA का Site Specific प्राक्कलन 1000 पौधे/है0 से नही किया गया।	CA का Site Specific प्राक्कलन 1000 पौधे/है0 से ही किया गया है। कुल 4314 पौधों का पौधरोपण

		लिया गया हैं। जो कि 4.314 है0 को 1000 से गुणा करने पर 4314 पौधे आते हैं।
5	NPV की दरें जयपुर जिले की Eco-Class अनुसार प्रस्तावित नही की गई हैं।	भारत सरकार के पत्र दिनांक 6.01.2022 में Eco-Class का वर्णन किया गया हैं। उसके अनुरूप Eco-Class iv में प्रत्यावर्तित होने वाली भूमि आती हैं। क्योंकि 4.314 कि.मी. की लम्बाई में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 54 हैं। प्रस्तावित सडक का क्षेत्रफल 4.314 हैक्टर हैं। इसलिए Open Category में रखा गया था। इस कार्यालय अनुसार सही Eco-Class एवं उसमें सही वर्गीकरण कर NPV की दरें लगायी गई हैं।
6	प्रस्तावित Site वृक्षारोपण हेतु Suitable प्रतीत नही होती हैं। अतः उप वन संरक्षक द्वारा Suitability certificate गलत प्रतीत होता हैं।	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के परिपत्र कमांक/एफ.( ) 2020–21/प्रमुवस/एफसीए/584–691 दिनांक 1.03.2021 द्वारा स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि कार्य स्थल की परिस्थिति के कारण NFL में 1000 पौधे प्रति हैक्टर रोपण नही हो पाने की स्थिति में शेष पौधे किसी समीप के DFL में रोपित किये जावेंगे (प्रति संलग्न)। अतः जितने पौधे प्रस्तावित NFL में लगेगें उतने पूर्व में खड्डे खोदकर संख्या तय कर ली जावेगी तथा अवशेष पौधे समीप के वन खण्ड तालुका बास उर्फ बरकडा की डूँगरी–49 के वन क्षेत्र में (DFL) में लगवा दिये जायेगें। उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) द्वारा मौके की स्थिति देखने के पश्चात् अनुरूप पाए जाने पर ही Site Suitability Certificate जारी किया गया हैं।
7	वन क्षेत्र के गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपलोड/संलग्न नही हैं।	वन क्षेत्र के गजट नोटिफिकेशन की प्रति पत्रावली के पेज संख्या 123 से 130 पर लगी हुई हैं। जिसे अपलोड कर दिया गया हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(सुदीप कौर) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2021–22/ दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)